

## प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

सेवा में

श्रीमान प्रभारी अधिकारी महोदय ,

कैंप ग्राम पंचायत . . . . . तहसील टोंक

विषय :. रहन दर्ज बैंक का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त करने बाबत ।

महोदय,

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि प्रार्थी की भूमि राजस्व रिकॉर्ड ग्राम . . . . .की जमाबंदी संवत् . . . . . के खाता संख्या. . . . . में. . . . . बैंक के नाम रहने दर्ज अंकित है। जबकि उक्त नाम के स्थान पर बैंक का नवीन नाम. . . . . होना चाहिए। जो शुद्ध करने की कृपा करें।

हस्ताक्षर प्रार्थी

नाम. . . . .

पता. . . . .

### **रिपोर्ट पटवारी/ भू. अ. निरीक्षक**

मुताबिक प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि के ग्राम. . . . . प. म. . . . . की जमाबंदी संवत्. . . . .के खाता संख्या. . . . .में वर्तमान रहन दर्ज बैंक के नवीन नाम. . . . . की जांच की गई जो सही है। अतः बैंक के नाम. . . . . की धारा 135 एल.आर. एक्ट 1956 के अंतर्गत दुरुस्ती के आदेश प्रदान किया जाना उचित होगा।

हस्ताक्षर भू.अ. निरीक्षक

हस्ताक्षर पटवारी

कैंप. . . . .

क्रमांक. . . . .

दिनांक. . . . .

मूल ही आवेदन पत्र श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय टोंक की सेवा में पटवारी एवं भू.अ. निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर बैंक का सही नाम. . . . . को धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 के अंतर्गत शुद्ध किए जाने कि अभीशंषा की जाती है।

तहसीलदार (भू.अ.) टोंक

कैंप प्रभारी ग्राम पंचायत . . . . . तहसील टोंक

क्रमांक:- . . . . .

दिनांक. . . . .

उक्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रिपोर्ट एवं अभीशंषा के अनुसार बैंक के नाम की शुद्धि की जाती है। राजस्व रिकॉर्ड में अमल कर पालना करें।

उपखंड अधिकारी टोंक कैंप प्रभारी

कैंप ग्राम पंचायत . . . . .